न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारीः श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या :– 31/2025 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 19/02/2025
निर्णय दिनांक :– 08/10/2025

अनवान

1. सोहनी पत्नी भैरू जाति गुर्जर निवासी खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर निवासी खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. देवा पिता छितर जाति गुर्जर निवासी खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. नारायण पिता छितर जाति गुर्जर निवासी खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. ऐजी पत्नी छितर जाति गुर्जर निवासी खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. मांगीलाल पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. पन्ना पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम खाखरड़ा पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में प्रार्थीया की खातेदारी कृषि आराजीयात स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 292 आराजी संख्या 1035 रकबा 0.7400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)

प्रार्थीया की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित खसरा संख्या की भूमि की अब तक प्रार्थिया ने पत्थरगढ़ी नहीं कराई है। यह कि मौके पर प्रार्थीया की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 की भूमि से अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04, 05 व 06 की भूमि पास–पास में होकर स्थित है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की जमीन पास–पास में होकर मिली हुई है जमीन की सीमा के संबंध में विवाद बना रहता है। फसल काटते व बुआई के समय पाली वगैरा का विवाद रहता है और इस समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थीया की उक्त जमीन की पत्थरगढ़ी कराने से ही हल हो सकता है। प्रार्थीया को विपक्षीगण का भी यही कहना है कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढ़ी करा लो और पत्थरगढ़ी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबन्द रहेगे जिससे भी प्रार्थीया को अपनी उक्त जमीनों की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अन्त में दिनांक 20.01.2025 को स्थान ग्राम खाखरड़ा पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ में प्रार्थीया की उक्त जमीन की सीमा संबंधी विवाद करने से ग्राम खाखरड़ा तहसील देवगढ़ में पैदा हुआ है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि खाखरड़ा पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 292 खसरा संख्या 1035 रकबा 0.7400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी जरिये नपती नियमानुसार मौके पर नायब तहसीलदार साहब देवगढ़ के निर्देशन में कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06 बावजूद सूचना तामिल के

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.) सत्यमेव जयते

अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार हैः–

111. Decision of disputes as to boundaries – (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the exiting survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party bease entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

128. Boundary disputes – All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in Section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम खाखरड़ा पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 292 खसरा संख्या 1035 रकबा 0.7400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

सोहनी बनाम मांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्याः–31 / 2025
निर्णय दिनांकः–08 / 10 / 2025

तहसीलदार, देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकरों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी / सीमांकन कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सुपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावें पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08 / 10 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)